विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के द्वितीय गुरूवार के लिए निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-4 का उत्तर।

| | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 4(क) | क्या पशुधन मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में आवारा पशुओं के कारण किसानों को नुकसान हो रहा है जिस कारण प्रदेश के किसानों में भारी रोष व्याप्त है? | जी नहीं। कतिपय समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से यदा-कदा निराश्रित गोवंश के विचरण की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल उनका संरक्षण किया जाता है। |
| (ख) | यदि हां, तो उक्त समस्या का सरकार के पास कोई समाधान है तो उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे? | निराश्रित/बेसहारा गोवंशों के संरक्षण एवं भरण-पोषण हेतु उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी निकायों (यथा-ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018, दिनांक 02 जनवरी, 2019 द्वारा किया गया है। उक्त नीति अंतर्गत प्रदेश के 7713 स्थायी/अस्थायी गो आश्रय स्थलों में कुल 1243623 बेसहारा गोवंश संरक्षित किये गये हैं।<br>उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-3256/ सैंतीस-2019-30(4)/2019 दिनांक 08 अगस्त, 2019 द्वारा मा० मुख्यमंत्री सहभागिता योजनांतर्गत प्रदेश में 105139 पशुपालकों को 162625 गोवंश सुपुर्दगी में दिये गये हैं। गो आश्रय स्थलों में संरक्षित तथा पशुपालकों को गो आश्रय स्थलों से सुपुर्द गोवंशों के भरण-पोषण हेतु धनराशि रू0 50/- प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से सहायता अनुदान सरकार की ओर से प्रदान किया जा रहा है तथा निराश्रित गोवंश संरक्षण का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। |
| (ग) | यदि हां, तो क्या खेतों में लगने वाले तारों को सरकार मुफ्त में वितरित करायेंगे? | जी नहीं।<br>शासनादेश संख्या-2627/37-1-2022 दिनांक 21.09.2022 के माध्यम से पशुक्रूरता रोके जाने हेतु किसानों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले ब्लेड युक्त/कटीले तारों को प्रतिबन्धित किया गया है। अतः खेतों में लगने वाले तारों को मुफ्त में वितरित कराये जाने का अवसर नहीं है। |

Signed by
Dharm Pal Singh
Date: 24-02-2025 14:11:28

(धर्मपाल सिंह)
मंत्री,
पशुधन विभाग, उ0प्र0।